संख्या–10 /2025/001-24-24-1-2025-53-2023

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
उप सचिव,
उ0प्र 0शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र 0पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं को टैरिफ सब्सिडी हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक(वित्त) , उ-के पत्र संख्या 0पावर कारपोरेशन लि 0प्र0 11410नि0अधि/(वित्त0प्र0वि/(-2/आय2024 यकव्य--25/453, दिनांक रदिसम्ब 30,के संदर्भ में मुझे 2024 2024 कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्षयह--में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या 259 के लेखाशीर्ष 2801-05-800-08-ओं को टैरिफ सब्सिडी हेतु मूल बजट एवं अनुपूरक बजट में निजी नलकूप उपभोक्ता 20 2615 में प्राविधानित कुल धनराशि रूपये,19,00,000/- (रूपये दो हजार छस लाख ह करोड़ उन्नीसौ पन्द्र : 815 के सापेक्ष द्वितीय अनुपूरक की धनराशि रूपये (मात्र,19,00,000/- (रूपये आठ सौ पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख मात्रकृति प्रदान करते हैं।पाल महोदय सहर्ष स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यको स्वी (

नियम व शर्ते प्रतिबन्धों /

)1 (उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह जनवरी, से माह मार्च 2025, तक 2025 प्रतिमाह धनराशि रूपये 271,73,00,000/- (रूपये दो सौ इकहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख मात्रकी तीन (समान मासिक किश्तों में आहरित किया जायेगा।

)2 (प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण उसी मद में किया जायेगा।

)3 (प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी-शुद्ध पत्र संख्या/426, दिनांक जुलाई 13, द्वारा निर्धारित 1971 -प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

)4 (प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समयसमय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण - यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार-, उत्तर प्रदेश, लखनऊप्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग/, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

)5 (इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उपावर कारपोरेशन 0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। 0लि

)6 (उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों के अन्तर्गत निदेशक (वित्त), उ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। 0पावर कारपोरेशन लि 0प्र0

)7 (उपरोक्त स्वीकृत धनराशि की किश्त के व्यय विवरण उपयोगिता प्रमाणपत्र सहित अगल-ी किश्त का मांग पत्र देय तिथि से तीन दिन पूर्व उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,15,19,00, 000(रुपये आठ अरब पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख मात्र लेखा शीर्षक 009 व्ययक मे अनुदान संख्या-के आय 20242025 को चालू वित्तीय वर्ष (को अनुदान मानक .एल.सी.पी.पी.निजी नलकूप उपभोक्ताओं को टैरिफ सब्सिडी हेतु यू 2801058000800 (गैर वेतन) सामान्य - सहायता अनुदान 20 मदके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-103-X-2024-25-दिनांक:20-1-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

संख्या-10/2025/001-24(1)-24-1-2025-53-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।